अंक 15

टी.ई.सी संचारिका

वर्ष 2025

वार्षिक गृह पत्रिका

भारत सरकार
दूरसंचार विभाग
दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र
खुर्शीद लाल भवन, नई दिल्ली - 110001

हिंदी पखवाड़ा 2025

शुभारंभ

संदेश

प्रिय पाठकों,

दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र की वार्षिक गृह पत्रिका "टी.ई.सी. संचारिका" का वर्तमान अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

विश्व का प्रत्येक देश अपनी भाषा पर गर्व करता है। देश की सर्वांगीण उन्नति तथा अटूट एकता के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही सर्वश्रेष्ट माध्यम है। भारत की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले देशभक्तों ने यही कहा था कि हिंदी ही भारत की जनभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा बन सकती है। मेरा भी यही मानना है कि हिंदी समस्त भारतवासियों को एकजुट रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बस आवश्यकता यही है हम हिंदी पर गर्व करें, कार्यालयी कार्य करते हुए हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और उसमें सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए गृह पत्रिका एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस गृह पत्रिका में विभिन्न विषयों पर लेख समाहित है। सभी लेखक एवं सहयोगीगण बधाई के पात्र हैं।

मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका हिंदी के प्रचार व प्रसार में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा पाठकों के लिए सार्थक, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी।

सै० तौ० अब्बास

श्री सैयद तौसीफ अब्बास

वरिष्ठ उप महानिदेशक एवं प्रमुख, टीईसी

टी.ई.सी. संचारिका

संपादकीय

प्रिय साथियों,

"टी.ई.सी. संचारिका" का पन्द्रवा अंक अपने पाठकों के समक्ष रखते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है ।

भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है । वहीं निज भाषा मूल व आंतरिक अभिव्यक्ति का सार्थक व सरल माध्यम है । अपनी मात्रभाषा या राष्ट्रभाषा में भाव अभिव्यक्ति जितनी गहरी और मर्मस्पर्शी हो सकती है उतनी अन्य भाषा में नहीं है । हमारे देश में हिन्दी ने न केवल राजभाषा होने का सम्मान पाया है बल्कि इसे संपर्क भाषा के रूप में भी गौरव प्राप्त है । इंटरनेट के इस युग में जहां बटन दबाते ही ढेरों कहानियां, लेख, सुचनाएं आदि गूगल के माध्यम से उपलब्ध है । पलक झपकते ही हर प्रसिद्द कवि, लेखक की कृति हमारे सम्मुख सुलभ है । परंतु इतना होते हुए भी पत्र-पत्रिकाओं व पुस्तक पढ़ने से मिलने वाले सुख एवं ज्ञान को अनदेखा नहीं किया जा सकता ।

दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र एक तकनीकी कार्यालय है, इसके बावजूद हिंदी लेखन का प्रचलन बढ़ रहा है । मैं सभी रचनाकारों, पत्रिका के प्रकाशन में संरक्षक एवं मार्गदर्शक और सहयोगीगणों को बधाई देता हूं जिनके प्रयास से पत्रिका का यह नया अंक अस्तित्व में आया । यह पत्रिका निश्चय ही अधिकारियों और कर्मचारियों में सृजनात्मक और वैचारिक लेखन को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में सहायक एवं उपयोगी सिद्ध होगी ।

आशा है, पाठकगण इस अंक को भी रोचक, ज्ञानवर्धक, उपयोगी एवं सुरुचिपूर्ण पाएंगे । प्रबुद्द पाठकों के सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी

शिव नारायण

उप महानिदेशक (एन.जी.एन.)

टी.ई.सी. संचारिका 4

सत्यमेव जयते

हिंदी दिवस 2025

के अवसर पर

माननीय गृह मंत्री जी

का संदेश

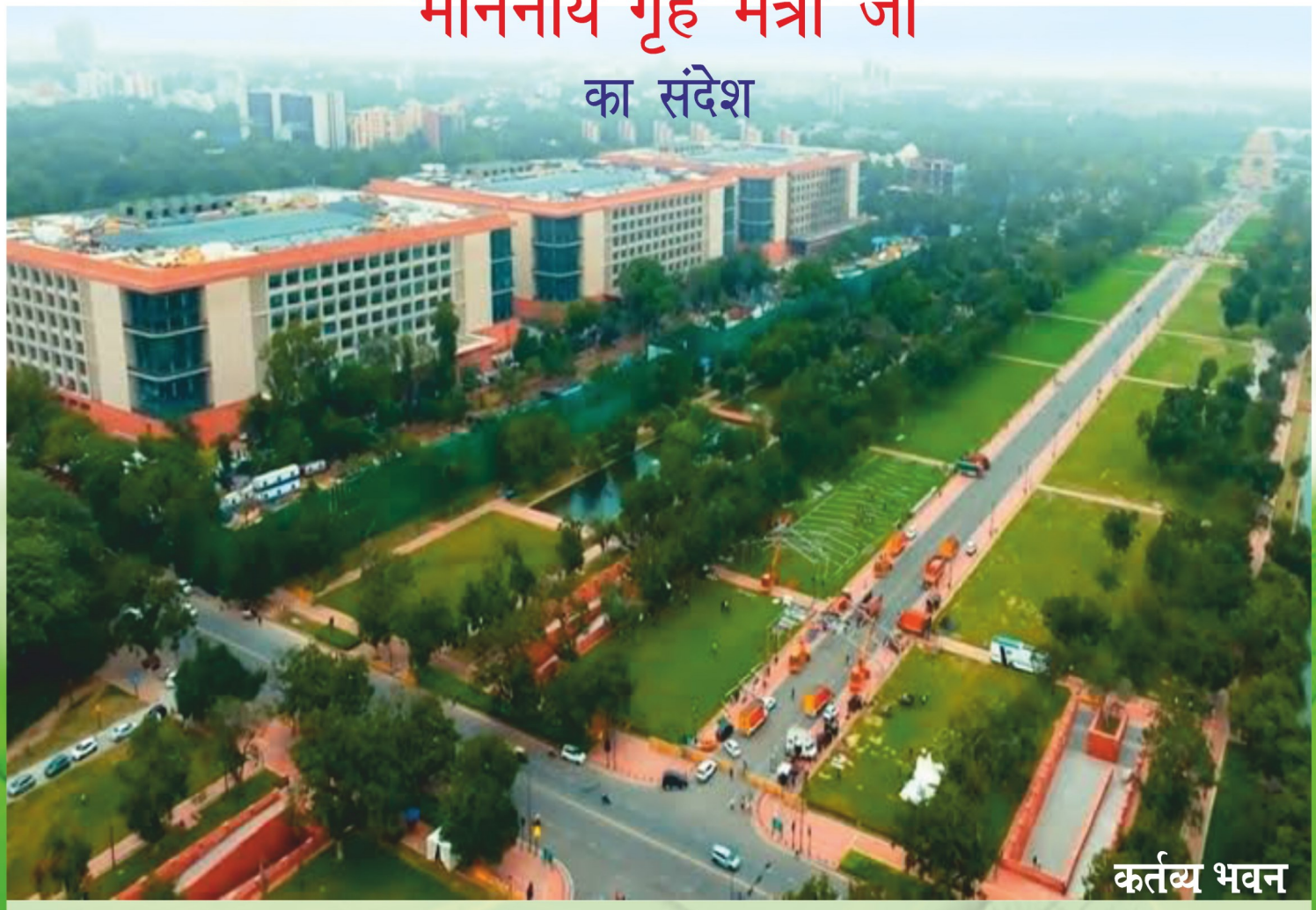

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह

50

(1975-2025)

राजभाषा – भारतीयभाषाणां मैत्रीसूत्रम्

साबरमती आश्रम

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

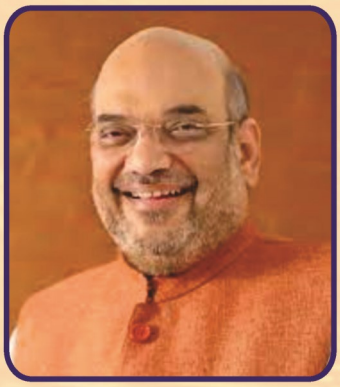

प्रिय देशवासियो !

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत मूलतः भाषा–प्रधान देश है। हमारी भाषाएँ सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान–विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम रही हैं। हिमालय की ऊँचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गाँव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहने और एकजुट होकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है।

मिलकर चलो, मिलकर सोचो और मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई और सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है।

भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बीहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, आदिम समाज में ढोल–मांदर की थाप पर करमा की गूँज, माताओं की लोरियाँ, किसानों का बारहमासा, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की 'बिदेशिया', इन सबने हमारी संस्कृति को जीवन्त और लोककल्याणकारी बनाया है।

मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय भाषाएँ एक दूसरे की सहचर बनकर, एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही हैं। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में भी पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी। सुब्रमण्यम भारती की राष्ट्रप्रेम से ओत–प्रोत रचनाएँ हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्रप्रेम को प्रबल बनाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास को हर एक देशवासी पूजता है, संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में पाए जाते रहे हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपरा में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक वैष्णव जानता है। और, भूपेन हजारिका को हरियाणा का युवा भी गुनगुनाता है।

गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएँ प्रतिरोध की आवाज बनीं और आज़ादी के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने में भूमिका निभाई। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, गाँव–देहात की भाषा में लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाटककारों ने लोकभाषाओं, लोककथाओं, लोकगीतों और लोकनाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वन्दे मातरम् और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक बने।

जब देश आजाद हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए

इस पर विस्तार से विचार–विमर्श किया और 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया कि हिंदी का प्रचार–प्रसार हो और वह भारत की सामासिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने।

पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघ का मंच हो, जी–20 का सम्मेलन या SCO में संबोधन, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है।

मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए, न कि किसी विदेशी भाषा को। तभी हम गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो पाएँगे।

राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जनभाषा और जनचेतना की भाषा बनाने का अद्भुत कार्य किया है। 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष 1976 में अपनी स्थापना से लेकर 2014 तक माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रतिवेदन के 9 खंड प्रस्तुत किए थे, वहीं 2019 से अब तक 3 खंड प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 13–14 नवम्बर 2021 को वाराणसी से प्रारंभ हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों की परम्परा भी लगातार आगे बढ़ रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी राजभाषा विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित 'कंठस्थ 2.0' में आज 5 करोड़ से अधिक वाक्यों का ग्लोबल डाटाबेस उपलब्ध है। 'लीला राजभाषा' और 'लीला प्रवाह' जैसे शिक्षण पैकेजों के माध्यम से 14 भारतीय भाषाओं में हिंदी सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022 में शुरू हुआ 'हिंदी शब्द सिंधु' अब तक लगभग 7 लाख शब्दों से समृद्ध हो चुका है।

2024 में हिंदी दिवस पर 'भारतीय भाषा अनुभाग' की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बनें। डिजिटल इंडिया, ई–गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं।

मित्रों, भाषा सावन की उस बूँद की तरह है, जो मन के दुःख और अवसाद को धोकर नई ऊर्जा और जीवन शक्ति देती है। बच्चों की कल्पना से गढ़ी गई अनोखी कहानियों से लेकर दादी–नानी की लोरियों और किस्सों तक, भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है।

मिथिला के कवि विद्यापति जी ने ठीक ही कहा है:
"देसिल बयना सब जन मिट्ठा।"
अर्थात् अपनी भाषा सबसे मधुर होती है।

आइए, इस हिंदी दिवस पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उन्हें साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें।

आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

वंदे मातरम्।

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2025

(अमित शाह)

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

श्री सैयद तौसीफ अब्बास

कार्यालय प्रमुख एवं वरिष्ठ उप महानिदेशक

उप संरक्षक

श्री पवन कुमार

उप महानिदेशक (प्रशासन)

संपादक

श्री शिव नारायण

उप महानिदेशक (एन.जी.एन.)

सह संपादक

श्री राजविंदर सिंह

निदेशक (एन.जी.एन.)

सहयोगीगण

श्री आकाश अग्रवाल

कुमारी आयुषी मिश्रा

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार रचनाकारों के निजी विचार हैं।

अनुक्रमणिका

क्रं. सं.	रचनाएँ	रचनाकार	पृष्ठ सं.
1	सरस्वती वंदना		11
2	कोशिश की कीमतः एक नया सवेरा	शशि मोहन	12-13
3	पुरानी यादें	शिव नारायण	14-15
4	क्वांटम संचार : विज्ञान और रहस्य	अजय नेमा	16-17
5	अचंबित करता बिहार	राम राज यादव	18-26
6	समय का महत्व	योगेश गोयल	27
7	स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधारः योग	राजकुमारी	28
8	स्वस्थ जीवन का महत्व	प्रवेंद्र बघेल	29
9	डिजिटल युग और हमारा जीवन / समय की कीमत	आकाश अग्रवाल	30
10	पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता	अनीता कश्यप	31
11	राजभाषा निति सबंधी प्रमुख निदेश		32-39
12	दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र, नई दिल्ली में हिंदी पखवाड़े का आयोजन		40-50

सरस्वती वंदना

वर दे, वीणा वादिनी वर दे !

वर दे, वीणा वादिनी वर दे।

प्रिय स्वतंत्र-रव अमृत-मंत्र नव

भारत में भर दे!

वर दे, वीणा वादिनी वर दे।

काट अंध-उर के बंधन-स्तर

बहा जननि,ज्योतिर्मय निर्झर

कलुष-भेद-तम हर प्रकाश भर

जगमग जग कर दे !

वर दे, वीणा वादिनी वर दे ।

नव गति,नव लय,ताल-छंद नव

नवल कंठ,नव जलद-मन्द्ररव

नव नभ के नव विहग-वृंद को

नव पर, नव स्वर दे !

वर दे, वीणा वादिनी वर दे !

वर दे, वीणा वादिनी वर दे ।

कोशिश की कीमत: एक नया सवेरा

रोहन, जो भारत से रूस के मॉस्को विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, उन दिनों गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा था। घर की आर्थिक स्थिति और मॉस्को की हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने उसके हौसले तोड़ दिए थे,। एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दिन उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। उसने अपनी उत्तर पुस्तिका में एक शब्द भी नहीं लिखा और उसे पूरी तरह खाली जमा कर दिया।

रोहन को यकीन था कि उसे 'शून्य' मिलेगा और उसका शैक्षणिक करियर यहीं समाप्त हो जाएगा। वह खुद को एक 'असफल' और 'शून्य' व्यक्ति मान चुका था। लेकिन जब परिणाम आए, तो वह दंग रह गया—उसे 2 अंक दिए गए थे।

हैरानी और घबराहट में वह अपने प्रोफेसर, डॉ. थियोडोर मेद्रायेव के पास पहुँचा और पूछा, "सर, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था, फिर यह 2 अंक क्यों? क्या यह कोई गलती है?"

डॉ. मेद्रायेव ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और शांति से कहा, "रोहन, **शून्य का अर्थ होता है—अस्तित्वहीन**। लेकिन तुम यहाँ मौजूद हो। क्या तुम जानते हो कि इस ठिठुरती ठंड में, सुबह जल्दी उठकर, बस और ट्राम के धक्कों के बीच परीक्षा हॉल तक पहुँचना कितना बड़ा संघर्ष है?" उन्होंने आगे समझाया कि भले ही कागज़ खाली हो, लेकिन छात्र का वहाँ उपस्थित होना ही उसके **प्रयास की गवाही** देता है।

डॉ. मेद्रायेव के शब्द रोहन के भीतर तक उतर गए: "अगर मैं तुम्हें शून्य देता, तो मैं तुम्हारा आत्मविश्वास छीन लेता और तुम्हारे भीतर की सीखने की आग को बुझा देता। एक शिक्षक के रूप में मेरा काम तुम्हें हार मानने पर मजबूर करना नहीं, बल्कि **फिर से खड़ा होने में मदद करना** है"।

उस दिन रोहन को समझ आया कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान का वितरण नहीं, बल्कि **मानवता का अभ्यास** है। उन 2 अंकों ने उसे यह संदेश दिया— "तुम शून्य नहीं हो, तुम सक्षम हो। बस इस बार सफल नहीं हो पाए, **फिर से प्रयास करो**"।

इस छोटी सी घटना ने रोहन की जिंदगी बदल दी। उसे अहसास हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, वह पहचान और आश्वासन का हकदार है। वह शून्य अंक जो किसी की यात्रा का अंत बन सकते थे, डॉ. मेद्रायेव की मानवीय सोच के कारण रोहन के लिए एक नई शुरुआत बन गए।

शून्य अंक देने से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके भविष्य के प्रति दृष्टिकोण पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि :

- **आत्मविश्वास का अभाव:** जब किसी छात्र को शून्य दिया जाता है, तो यह उसके **आत्मविश्वास को छीन लेता है**। यह उसे यह महसूस कराता है कि उसका अस्तित्व या उसका प्रयास "शून्य" या "अस्तित्वहीन" है।
- **भीतर की प्रेरणा का बुझना:** शून्य अंक छात्र के **भीतर की सीखने की आग को बुझा देते हैं**। यह उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय हार मानने पर मजबूर कर सकता है।

- **भय और अरुचि का संचार:** कागज़ पर लगा शून्य अक्सर छात्रों के लिए **'मृत्यु-घंटी'** के समान होता है। यह उन्हें **भय से भर देता है**, पढ़ाई में उनकी **रुचि छीन लेता है** और धीरे-धीरे उनके मन में **सीखने के प्रति घृणा** पैदा कर देता है।

- **प्रयासों का तिरस्कार:** शून्य अंक देने का अर्थ है छात्र के उन सभी संघर्षों को नज़रअंदाज़ कर देना, जो उसने कक्षा तक पहुँचने, किताबें खरीदने या परीक्षा के लिए जागने में किए हैं। इससे छात्र को लगता है कि उसके द्वारा की गई **कोशिशों की कोई पहचान नहीं है**।

यात्रा का अंत: स्रोत बताते हैं कि शून्य अंक अक्सर किसी छात्र की **शिक्षा यात्रा का अंत** साबित हो सकते हैं, क्योंकि वे उसे फिर से सपने देखने का साहस नहीं दे पाते।

इसके विपरीत, न्यूनतम अंक देना छात्र को यह संदेश देता है कि वह **महत्वपूर्ण और सक्षम है**, जिससे उसे फिर से प्रयास करने का आश्वासन मिलता है।

शिक्षकों को छात्रों के प्रयासों को पहचानने के लिए अंकों से परे देखने और एक **मानवीय दृष्टिकोण** अपनाने की आवश्यकता है। शिक्षक निम्नलिखित तरीकों से प्रयासों को पहचान सकते हैं:

- **उपस्थिति और भौतिक प्रयास को महत्व देना:** शिक्षक को यह समझना चाहिए कि परीक्षा हॉल तक पहुँचने के लिए छात्र ने कितना संघर्ष किया है, जैसे ठिठुरती ठंड में सुबह जल्दी उठना और दूर से बस या ट्रेन में खड़े-खड़े सफर करना। छात्र का परीक्षा में उपस्थित होना ही यह दर्शाता है कि उसने **कोशिश की है**, भले ही वह उत्तर न लिख पाया हो।

- **अदृश्य संघर्षों को स्वीकार करना:** शिक्षक को छात्र की उन रातों की मेहनत, खरीदी गई कॉपियों, खोली गई किताबों और उन सभी संघर्षों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए जिनसे वह गुज़रा है। इन प्रयासों को मिटाना नहीं चाहिए क्योंकि इंसान कभी "शून्य" नहीं होता।

- **शून्य के बजाय आश्वासन देना:** "शून्य" देना छात्र के आत्मविश्वास को छीन लेता है और उसके भीतर की आग को बुझा देता है। इसके बजाय, न्यूनतम अंक (जैसे रूस में खाली कॉपी पर भी 2 अंक दिए जाते हैं) देकर शिक्षक यह संदेश दे सकते हैं कि छात्र **शून्य नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण और सक्षम है**। यह उसे यह विश्वास दिलाने का तरीका है कि वह असफल नहीं हुआ है, बल्कि केवल इस बार सफल नहीं हो पाया है।

- **प्रोत्साहन और आशा की रक्षा:** शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को बार-बार खड़ा होने में मदद करना होना चाहिए, न कि उन्हें हार मानने पर मजबूर करना। शिक्षा को **आशा की रक्षा करने का माध्यम** और **मानवता का अभ्यास** माना जाना चाहिए।

- **सकारात्मक संवाद:** शिक्षक का दायित्व है कि वह छात्र को प्रोत्साहित करे और उसे यह कहकर आश्वस्त करे कि— **"तुम कर सकते हो। फिर से कोशिश करो"**।

प्रयास को पहचानने की कला: शिक्षा को केवल लिखे गए उत्तरों का नाम नहीं, बल्कि **प्रयास को पहचानने की कला** समझा जाना चाहिए। जब शिक्षक अंकों से परे प्रयास को देखना सीख लेते हैं, तो वे हतोत्साहित छात्रों को फिर से सपने देखने का साहस प्रदान करते हैं।

संक्षेप में, जब तक कोई छात्र प्रयास कर रहा है, वह कम से कम **आश्वासन और पहचान का अधिकारी** है।

("साभार"— *स्रोतों में दी गई डॉ. मेद्रायेव की विचारधारा पर आधारित एक काल्पनिक चित्रण,,,,)*

सशि मोहन
उप महानिदेशक (आईटी)

पुरानी यादें

मेरी पुरानी यादें

तू क्यों आयी मैं ही आ जाता/

जब मैं छोटा था—खासकर स्कूल की छुट्टियों में—मेरी नानी हमारे गाँव आती थीं। यह कहानी उस समय की है जब मैं तीसरी क्लास में रहा होऊँगा। जैसा कि अक्सर होता है, बच्चे अक्सर ज़िद करते हैं कि उनकी नानी उन्हें सोने से पहले कहानियाँ सुनाएँ; मैं और मेरे भाई-बहन भी अपनी नानी से कहानियाँ सुनाने के लिए कहते थे। जब वह कुछ दिन हमारे साथ रहती थीं, तो मेरी नानी हमें सच में कहानियाँ सुनाती थीं।

इसी बात को याद करते हुए हुए मेरी नानी जो कहानी सुनाई थी वह कुछ इस प्रकार थी/ एक गांव से एक चाचा और भटजा बाहर यात्रा पर निकलते हैं / भतीजा चाचा के साथ चलने इसी तरह से निकलता है कि चाचा को उसकी हर सवाल का जवाब तसल्ली बक्स देना होगा/ जहां उसके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो वाह चाचा को वही छोड़ कर वापस गांव लौट आएगा।

जब वे एक गाँव में अपनी यात्रा के डोरान पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक नजवान लड़का गले में मारा साँप डाले हुवे गाँव से बाहर निकल रहा है और रोते हुवे बोलता जा रहा है कि तू क्यों आई मैं ही आ जाता/ इसे देख कर भतीजा ने चाचा से पूछा कि ये क्या है / याह नौ जवान ऐसे बोलते हुए गांव से बाहर क्यों जा रहा है/चाचा ने भतीजे को कहा कि अभी आप यहां रुकें, वहां रहें खाने की व्यवस्था करो/रात का खाना खाने के बाद में आपको पूरी कहानी बताऊं/भतीजे ने जल्दी-जल्दी सब काम निपटाया और खाना होने के बारे में बताया, चाचा से कहानी सुनाने को कहा/चाचा ने कहा ये कहानी इस तरह है/

चाचा ने बताया कि इस गांव में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था/उसके कोई संतान नहीं थी/उसको किसी ज्योतिषी ने बताया कि अगर तुम बिना अपने संतान की शादी पक्की करालो तुम्हारे यहां लड़का पैदा होगा/सेठ ने ऐसा ही किया/परंतु शादी की तारीख के पहले दिन तक भी जब उसके यहां कोई संतान नहीं हुई तो उसने घर त्याग दिया और सुंसन घने वन में निकल गया/वहां उसने देखा कि एक सांप चांद की तरफ फैन रखे हुवे बैठा हुआ है/सेठ ने बार-बार उसको छेड़ा ताकि सांप उसे काट ले/या

पुरानी यादें

जब उसके यहां कोई संतान नहीं हुई तो उसने घर त्याग दिया और सुंसन घने वन में निकल गया/वहां उसने देखा कि एक सांप चांद की तरफ फैन रखे हुवे बैठा हुआ है/सेठ ने बार-बार उसको छेड़ा ताकि सांप उसे काट ले/या देख कर सांप आदमी बन जाता है और सेठ वह पूछती है कि आप क्यों मरना चाहते हैं/ सेठ इस लड़के की सारी कहानी सुनाता है तो सांप से आदमी बना लड़का सेठ की मदद के लिए कहता है और कहता है कि मेरे पास पीएसए का बिल आता है और आज रात के ही आप के साथ चलता हूं/

दोनों लोग सेठ के घर पहुंच जाते हैं/ सेठ इस लड़के की शादी कराता है सारा घर बाहर उसको संभालकर यात्रा के लिए निकल जाता है/ पीछे से ये लड़का और इसके परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं और छह महीने का वक्त पूरा कब हो जाता है इसका एहसास ही नहीं होता/ संप कि सपिन इंतजार करके आती है और रात में उसके घर में घुस कर इस लड़के को जगाने के लिए फैन को मार मार कर जगाने का प्रयास करती है/परमतु ये लड़का नहीं जगता है/इस जद्दो जहद में वह मर जाती है/ सुबह जब लड़का उठता है तो मारी हुई सांपिन को देखकर अपने गले डाल लेता है और उसी और गांव सेनिकलता है जहां से आया था और साथ बोलता रहता है कि तू क्यों आई में ही जाता/
इस तरह से कहानी ख़त्म होती है और चाचा और भतीजा अगले पड़ाव के लिए निकलने से पहले आराम करने चले जाते हैं।

(कहानी का संदेश है: जीवित जगत में एक दूसरे के प्रति दयालु रहें।)

प्रेषक: शिव नारायण, डीडीजी (एनजीएन), टीईसी, दिल्ली

शिव नारायण
उप महानिदेशक (एन.जी.एन.)

क्वांटम संचार : विज्ञान और रहस्य

जहाँ तर्क की सीमा थमती है, एक नया द्वार खुलता है,
शून्य और एक के पार, क्यूबिट का संसार पलता है।
यह मात्र तकनीक नहीं, भविष्य की एक पुकार है,
अदृश्य धागों से बुना, क्वांटम संचार का जाल है।
क्वांटम उलझाव (एंटैंगलमेंट) की माया देखो, कितनी है ये न्यारी,
लाखों मील की दूरी भी, अब लगती है बस एक कदम की बारी।
यहाँ जो हलचल होती है, वहाँ स्पंदन होता है,
दो कणों के प्रेम में, समय भी अपना होश खोता है।
इसी रहस्य से जन्म लिया, क्यूकेडी की ढाल ने,
सुरक्षित कर दी चाबियाँ, अब विज्ञान के नए जाल ने।
प्रकाश के नन्हे फोटॉन पर, जब 'कुंजी' चलती है,
सेंध लगाने वाले की, हर कोशिश वहीं जलती है।
जो छूना चाहे राज़ को, वह राज़ ही बदल जाएगा,
हवा में घुला संदेश, बस अपनों तक ही पहुँच पाएगा।
सुपरपोजिशन का खेल निराला, हर पल है रहस्यमयी,
एक ही कण में छिपी हुई, 'हाँ' भी है और 'ना' भी।
जब तक कोई टोके न, वह हर रूप में रहता है,
सत्य की लहरों पर, वह चुपके-चुपके बहता है।
सुरक्षा ऐसी अभेद्य यहाँ, कोई सेंध न लगा पाए,
जो ताक-झांक की कोशिश करे, वह खुद ही मिट जाए।
प्रकाश की नन्हीं बूंदों में, संदेश जब चलते हैं,
ब्रह्मांड के सबसे गुप्त राज, विज्ञान से ही मिलते हैं।
पर जब क्वांटम कंप्यूटर की, महाशक्ति जाग जाएगी,
पुराने सब तालों को, वह पल भर में तोड़ पाएगी।
तब काम आएगी पीक्यूसी, गणित का वह चक्रव्यूह निराला,

क्वांटम संचार : विज्ञान और रहस्य

जो क्वांटम युग के हमलों पर, जड़ देगा अभेद्य ताला।
जटिल सूत्रों की बुनावट, और एल्गोरिदम का जाल,
बचाएगा डेटा हमारा, चाहे आए कैसा भी काल।
नियम पुराने टूट रहे, नए क्षितिज अब उभरेंगे,
क्यूकेडी और पीक्यूसी संग, हम सुरक्षित सँवरेंगे।
एक ओर भौतिकी का पहरा, दूजी ओर गणित का जाल,
क्वांटम कंप्यूटर भी न भेद सके, ऐसा होगा अब ढाल।
तारों के पार की बातों को, हम पल भर में करेंगे,
अदृश्य संदेशों की दुनिया में, निडर होकर विचरण करेंगे।
यह शून्य से अनंत तक की, एक अनोखी फेरी है,
सुरक्षित और तीव्र यह दुनिया, अब तुम्हारी और मेरी है।

अजय नेमा
उप महानिदेशक (टीसी)

अचंभित करता बिहार

रामराज यादव

आईटीएस

निदेशक टीईसी, दिल्ली

बिहार से बाहर के जनमानस में बिहार की जो छबि दिल्ली आधारित प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपराधिक और पिछड़ेपन की बनती है, उससे इतर कई मापदंडों में बिहार एक शानदार राज्य का अहसास कराता है, तो वहीं कई अन्य विषयों में, मानक से हटकर अहसास होता है। इन सब पहलुओं का आँकलन करें तो कुछ अचंभित करता बिहार की अवधारणा बनती है।

महान बिहार से भारतवर्ष की अवधारणा:

पटना में स्थित आधुनिक 'बिहार संग्रहालय' जिसे मेरी समझ से 'भारतवर्ष संग्रहालय' की संज्ञा दी जानी चाहिए, के अतिरिक्त अवलोकन और विवेचना हेतु नालंदा अपभ्रंश, राजगीर, बोधगया, गया, विक्रमशीला, सासाराम जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा, वैशाली, चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, रोहतासदुर्ग, कैमूर इत्यादि ऐतिहासिक स्थलों और वहाँ मुद्रित स्मरणिकाओं के अध्ययन को शामिल करें तो, एक शानदार अतीत का बिहार या कहें महान बिहार की धारणा अभिभूत होती है।

यहाँ के अतीत के कर्मस्थलों और कर्मबीरों की सूची अगर तैयार की जाए तो एक भारतीय सांस्कृती का संपूर्ण कालखंड सामने आ सकता है। बिहार के पावन धरती ने द्वापर युग में जहाँ, माता सीता- जिनकी जन्मस्थली वर्तमान सितामढ़ी, और उनके पुत्र लव और कुश, जन्मस्थली महर्षि बाल्मिकी की कुटिया- आज के बाल्मीकि नगर (बाघआरक्षित क्षेत्र) को दिया वहीं, महर्षि बाल्मीकि की कर्मस्थली है जहा से उन्होंने रामायण महाकाव्य का संस्कृत में रचना की। त्रेता युग और महाभारत काल में भी यह भूमि कर्ण, जरासंध और एकलव्य जैसे महान योद्धाओं की वीरता से गौरवांवित रही। आधुनिक युग में यही धरती महात्मा गांधी की कर्मभूमि बनी और भारत को उसका प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद प्रदान किया।।

यदि बृहद् राज्यों के संस्थापकों की सूची में महाभारत काल को भी शामिल किया जाए, तो इसकी शुरुआत बिहार के शक्तिशाली राज्य मगध के प्रतापी राजा जरासंध से की जा सकती है, जिनकी राजधानी राजगृह (वर्तमान राजगीर) थी। राजा जरासंध की महिमा का वर्णन यह है कि उन्होंने सूर्य समेत अनेक देवताओं को पराजित कर उन्हें राजगृह में एक माह तक बंदी बना लिया था, जिससे समयचक्र ही रुक गया था।

मान्यताओं के अनुसार, हिन्दी पंचांग में हर चौथे वर्ष जो एक अतिरिक्त माह–'मलमास' या 'अधिमास'–आता है, वह इसी घटना से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह महीना सूर्य आधारित और चंद्र आधारित कैलेंडरों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इस माह में देवताओं की पूजा सामान्यतः निषिद्ध मानी जाती है, परंतु यह विश्वास है कि यदि पूजा केवल राजगीर में की जाए, तो वह फलदायी होती है, क्योंकि उसी समय सभी देवता राजगीर में 'स्थित' माने जाते हैं। आज भी इस अवसर पर राजगीर में भव्य मेले का आयोजन होता है, जहाँ श्रद्धालु गर्म जल के प्राकृतिक स्रोतों में स्नान कर देवी-देवताओं की आराधना करते हैं।

जरासंध का मुख्य वैर भगवान श्रीकृष्ण से था। इस शत्रुता का कारण था–कंस की मृत्यु। कंस, जो श्रीकृष्ण के मामा और जरासंध के दामाद थे, को श्रीकृष्ण ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर बंदी बने अपने माता-पिता वासुदेव और देवकी को मुक्त कराया था। कंस की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जरासंध ने बार-बार श्रीकृष्ण पर आक्रमण किए, जिससे उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा, और इस कारण वे 'रणछोड़' कहलाए। भगवान श्रीकृष्ण को भी पीछे हटने पर विवश करने वाला यह महान योद्धा बिहार की धरती से था।

आज का सजीव वैशाली नगर जो कभी वज्जि (वृज्जी) महाजनपद की राजधानी हुआ करता था, विश्व के पहले गणतांत्रिक राज्य के रूप में माना जाता है। यहां ईसा पूर्व लगभग 600 वर्ष पहले प्रशासकों की नियुक्ति निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से की जाती थी।

चाणक्य, एक महान विचारक, अर्थशास्त्र महाकाव्य के लेखक, चन्द्रगुप्त शासक के सलाहकार और तीसरी शताब्दी में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक इसी राज्य क्षेत्र के थे। चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रपौत्र सम्राट अशोक ने लगभग भारत उपमहाद्वीप के सभी भू-भाग पर शासन किए। इन्ही को बौद्ध धर्म का एशिया महाद्वीप में चारों तरफ फैलाव का श्रेय जाता है। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जब यहाँ से विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, वाणिज्य और भारतीय दर्शन न केवल विकसित हुए, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रभावी भी बने। सम्राट अशोक ने जिस भूभाग पर शासन किया, वह आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और ईरान के कुछ हिस्सों तक फैला था। **आजकल के जनमानस में भारतवर्ष की अवधारणा में यही सब भौगोलिक क्षेत्र पनपता है।** बिहार का राजगीर, पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना) लगभग एक हज़ार वर्षों तक भारतवर्ष की राजनीतिक राजधानी रहा। सम्राट अशोक द्वारा संवर्धित और निर्मित राजमार्ग, जिसे आज 'ग्रैंड ट्रंक रोड' (GT Road) के नाम से जाना जाता है, तक्षशिला (वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास) से होते हुए पाटलिपुत्र (अब पटना) और आगे तम्रलिप्ति (अब पश्चिम बंगाल के तामलुक) तक विस्तृत था। यह राजमार्ग प्राचीन काल में व्यापार, प्रशासन, सैन्य संचालन और धर्म-प्रसार का प्रमुख माध्यम रहा। अशोक ने इस मार्ग के किनारे विश्रामगृह, कुएं, वृक्षारोपण, अस्पताल तथा शिलालेख (स्तंभ) भी बनवाए थे।

लगभग 1486 ईस्वी में बिहार के सासाराम में जन्मे शेरशाह सूरी ने केवल पाँच वर्षों (1540–1545) के शासनकाल में भी अपनी तेज निर्णय-क्षमता, दूरदृष्टि और कुशल प्रशासन से सभी को अचंभित कर दिया। आधुनिक भारतीय मुद्रा 'रुपया' के चलन की शुरुआत भी सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही की। उनके शासनकाल में प्रमुख रूप से तीन प्रकार के सिक्के प्रचलित थे: असर्फी (सोने का), रुपया (चाँदी का) और दाम (तांबे का)।

शेरशाह का साम्राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बांग्लादेश का पूर्वी भाग तथा पाकिस्तान के पंजाब और सिंध तक फैला हुआ था। उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड के विस्तार और सुधार का कार्य तक्षशिला (पाकिस्तान) से लेकर सोनारगांव (वर्तमान बांग्लादेश) तक कराया, जिससे यह मार्ग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जीवनरेखा बन गया।

भारतवर्ष की विश्वगुरु अवधारणा:

जैन धर्म के संस्थापक भगवान महाबीर (599 ईसा पूर्व) की जन्मस्थली कुंडा ग्राम वैशाली बिहार में है। उनके विचार और सिद्धांत विश्व की एक धरोहर बनी और जैन धर्म की स्थापना हुई।

गौतम बुद्ध को लगभग 528 ईसा पूर्व, 35 वर्ष की आयु में बिहार की पवित्र भूमि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके अनुदेशों से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। जिसे आज विश्व के ५० से अधिक देशों में लगभग ५० करोड़ (५००

मिलियन) लोगों द्वारा मुख्य धर्म के रूप में अनुसरण किया जाता है। बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु भारत से अनेक बौद्ध भिक्षु और विद्वान विभिन्न देशों में गए, जिससे भारतीय संस्कृति, दर्शन और जीवन दृष्टि विश्वव्यापी हुई।

5वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व का प्रथम आवासीय, बहुआयामी विश्वविद्यालय माना जाता है। यहां 10,000 से अधिक शिष्यों के लिए आवास, भोजन, आचार्यगण (शिक्षक), विशाल पुस्तकालय और अध्ययन सामग्री की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। विश्व के अनेक देशों से बुद्धजीवी विद्यार्थी बनकर शिक्षा लेने आते थे। गुरु-शिष्य परंपरा से समृद्ध होकर वे शिष्य अपने-अपने देशों में लौटते और भारतीय संस्कृति, ज्ञान और विधि-विधान को वहां फैलाते। इसी से भारत की ***'विश्वगुरु'*** की अवधारणा का उदय हुआ।

जैन और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने पूरी दुनिया को ***अहिंसा*** (Non-Violence) का संदेश दिया, जो आज भी वैश्विक नैतिकता और मानवता की मूल भावना बना हुआ है।

सिख धर्म के दसवें और अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना) के पटना साहिब में हुआ था। उन्होंने 1699 ईस्वी में 'खालसा पंथ' की स्थापना की और 'गुरु ग्रंथ साहिब' को सिख धर्म का अंतिम और शाश्वत गुरु घोषित किया।

धरोहर

बिहार भारत का एक अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक राज्य रहा है। यहां की अनेक धरोहरें भारत की प्राचीनता, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, और कला की गवाही देती हैं। इन्हीं धरोहरों में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष, महाबोधि मंदिर (बोधगया) – जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई – प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त वैशाली, लौरिया नंदनगढ़, सुलतानगंज आदि स्थानों पर सम्राट अशोक के शिलालेख और स्तंभ, बराबर की गुफाएं, रोहतासगढ़ किला, विश्वविख्यात मधुबनी चित्रकला (मिथिला पेंटिंग), लोककलाएं, तथा सोनपुर का विश्व का सबसे पुराना पशु मेला बिहार की सांस्कृतिक विविधता को उजागर करते हैं। पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय को भारत की ऐतिहासिक विरासत का अनमोल भंडार कहा जा सकता है। इन प्रत्येक धरोहरों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता न केवल ***अचंभित करती है***, बल्कि गर्व की अनुभूति भी कराती है।

महान अतीत से महान वर्तमान की ओर

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, और सामाजिक परिवर्तन भी इससे अछूता नहीं है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोग अक्सर बिहार को जातीय संघर्ष, भेदभाव और उससे उपजे नक्सलवाद की भूमि के रूप में देखते हैं। लेकिन जब सच्चाई से साक्षात्कार होता है, तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि यहाँ के आम नागरिक, चाहे वे वर्ण व्यवस्था के किसी भी तथाकथित वर्ग से हों, प्रायः अपने नाम के साथ जातिसूचक टाइटल बिना लगाए ही नाम लिखते और बताते मिल जाएंगे।

इसके विपरीत, देश के कई अन्य राज्यों में लोगों द्वारा अपने नाम के साथ जातिसूचक उपनाम जोड़ना सामान्य परंपरा बन चुकी है। यही जातिगत पहचान की प्रवृत्ति आज भी देश को एकसूत्र में बाँधने में सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। 'जाति है कि जाती नहीं' जैसी कहावत बिहार में काफी हद तक अप्रासंगिक होती जा रही है। अन्य राज्यों को बिहार से यह सीख लेनी चाहिए कि जब व्यक्ति अपनी पहचान को केवल नाम तक सीमित रखता है और जाति की दीवारों को गिराता है, तब समाज में समरसता और विकास के नए द्वार खुलते हैं। यदि पूरे देशवासी इस जातिगत पहचान की दीवार को तोड़ दें, तो 'संघे शक्ति' की भावना के अनुरूप हर नागरिक का समुचित विकास संभव हो सकेगा।

यहाँ यह कहना ऊंचीत होगा कि जाति का कुप्रथा शिक्षा और उपदेश मात्र से जाने वाली नहीं है। यदि ऐसा संभव होता, तो बौद्ध काल से ही चल रही 'समता' की शिक्षाएं इसे जड़ से मिटा चुकी होतीं। लेकिन यह समस्या कभी प्रबल तो कभी शिथिल रूप में अब तक बनी रही है। जब तक इस दिशा में दृढ़ इच्छाशक्ति और राजनैतिक संकल्प नहीं दिखाया जाएगा, तब तक जातिवाद एक सामाजिक अभिशाप के रूप में बना रहेगा। पूरे देश में बिहार जैसी ही दृढ़ ईच्छाशक्ति लगानी होगी नहीं तो यह अभिशाप 'सिर के ऊपर मूतने' वाले मुहावरे को यथार्त कर देगा।

महिला सशक्तिकरण:

केरल जैसे राज्य में महिलाओं को सरकारी बसें चलाते हुए देखना आम बात है, जो भारत में महिला-पुरुष समानता के अधिकार का प्रतीक बन चुका है। आज बिहार के हर सड़क, चौराहे, पुलिस बूथ पर या भीड़ को नियंत्रित करती महिला पुलिस मिल जाएंगी। महिला सशक्तिकरण का यह अभियान और अच्छी मात्रा में महिला पुलिस कि हर तरफ मौजूदगी बिहार के लिए ***अचंभित*** और सुखद अनुभव देने वाला स्थिति माना जाना चाहिए।

पुलिस सेवा, विवेकशील बल की सेवा मानी जाती रही है। यह अपराध को ताकत के बल पर या सूझबूझ से अपराधियों को पकड़ कर या अपराध होने की प्रवृत्ति को रोक कर कानून का राज स्थापित कराती है। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं जुर्म की शिकार ज्यादा होती रही हैं। पुरुष प्रधान पुलिस वर्ग होने से अपराधी कई बार सलाखों तक नहीं पहुंच पाता था। क्योंकि अपराध की विवेचना के लिए बहुत सारे दर्दनाक परंतु गोपनीय भागों पर लगेचोट का विवरण बताने में असहजता होती थी। परंतु अब वह असहजता महिला पुलिस के सामने नहीं रहती, जिससे अपराध का पूरा विवरण लिखा जा सकता है और अपराधी को सही दंड मिल जाएगा, इस भय से अपराधियों में डर उत्पन्न होता है और अपराध की घटनाओं में भी गिरावट देखी जा रही है। यह सब एक भयमुक्त, सुरक्षित और संतुलित समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वर्तमान समय में सरकारी रोजगार के क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्तियाँ बड़ी संख्या में हो रही है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की आयु सामान्यतः 5 से 10 वर्ष तक की होती है, जो मातृत्व स्नेह और देखभाल की सर्वाधिक आवश्यकता वाली अवस्था होती है। बिहार में लाखों की संख्या में शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है।

हमारे धर्म में ज्ञान की देवी होती है देवता नहीं। अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाली हमारी माताएं बहने और शिक्षिका ही उस समय रही होंगी तभी ज्ञान की देवी का संज्ञा आया होगा। इन्हें मां सरस्वती का स्वाभाविक आशीर्वाद माना जाता है। एक समय था जब शिक्षण कार्य में महिलाओं की उपस्थिति कम होती गई थी, मानो यह कार्य उनसे छीन लिया गया हो। परंतु समय के चक्र ने पुनः करवट ली है, और आज संगठित शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका शिक्षक के रूप में पुनः सशक्त होकर उभरी है। बिहार में यह परिवर्तन विशेष रूप से उल्लेखनीय और प्रेरणादायक है। यह स्थिति एक ओर जहाँ ***अचंभित*** करती है, वहीं एक सुखद और आश्वस्त करने वाला अनुभव भी देती है।

गरीबी :

बिहार में भूमिहीनों की आबादी बहुत ज्यादा है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहां कई ऐसे लोग हैं जिन्हें घर बनाने के लिए भी ज़मीन उपलब्ध नहीं है। जब हम 'मरने के बाद दो गज ज़मीन भी नसीब नहीं होगी' जैसे मुहावरों की चर्चा करते हैं, तब यह समझना जरूरी हो जाता है कि बिहार में लाखों लोग जीवन भर परिवार सहित ज़मीनविहीन होकर जीने को मजबूर हैं।

आज के विज्ञान के युग में हम मानव धरती के हर टुकड़े को किसी न किसी के नाम कर चुके हैं। और टुकड़े के टुकड़ों को खरीदने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है।

लेकिन जो पूरी तरह भूमिहीन हैं, उनके पास इतनी आय भी नहीं होती कि वे घर बनाने योग्य एक छोटा सा टुकड़ा भी खरीद सकें। ज़मीन या तो सरकार, वन विभाग अथवा अन्य सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत है, या फिर वह निजी स्वामित्व में है। ऐसे में बेघर लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन बेघरों की संसाधनों तक पहुंच न के बराबर होती है, जिससे वे सामान्य सामाजिक नियमों को भी निभा नहीं पाते, जैसे–सड़क या नहर किनारे अस्थायी घर बनाना, खुले में शौच जाना, लकड़ी से खाना बनाना, स्वच्छ कपड़े न पहन पाना, बच्चों को स्कूल न भेज पाना आदि। ये सब समस्याएं न केवल उनके जीवन की कठिनाई को दर्शाती हैं, बल्कि सामाजिक ताने-बाने पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं, भले ही इनके लिए बनी हों, इनके तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि उनकी जानकारी, दस्तावेज और स्थायी पते जैसे आधारभूत संसाधनों का अभाव होता है। बिहार में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर रूप ले चुकी है और यह स्थिति एक गहरी सामाजिक पीड़ा को जन्म देती है, जो तत्काल समाधान की मांग करती है।

सड़क:

यह जानकर और समझकर आश्चर्य होता है कि बिहार की धरती से उत्पन्न महान सम्राट अशोक ने भारतवर्ष की स्थापना की और लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक सुव्यवस्थित राजमार्ग प्रणाली का निर्माण करवाया। यह वही राजपथ है जिसे आज 'ग्रैंड ट्रंक रोड' (GT Road) के नाम से जाना जाता है, जो तत्कालीन तक्षशिला (अब पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास) से पाटलिपुत्र (अब पटना, बिहार) होते हुए तम्रलिप्ति (अब पश्चिम बंगाल के तामलुक) तक फैला हुआ था। इस राजमार्ग का निर्माण सम्राट अशोक ने अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाते हुए कराया था। इसके लगभग 1500 वर्ष बाद, इसी बिहार की भूमि पर जन्मे शेरशाह सूरी ने अपने मात्र पाँच वर्षों के शासनकाल में इस ऐतिहासिक मार्ग को पुनर्जीवित किया। ***आश्चर्य*** की बात यह है कि इस मार्ग के छः लेन विस्तार का कार्य आज भी बिहार के हिस्से में अधूरा है, जबकि अन्य राज्यों में यह लगभग पूर्ण हो चुका है।

सितम्बर २०२२ में राज्य कि राजधानी पटना से बाहर निकलना और बाहर से आने में लगभग ३० किलोमीटर का दूरी गाड़ी से घंटों में तय हो पाता था। अनिश्चितता हमेशा बनी रहती थी। वहीँ कई दूर- दूर के गावों में राज्य सड़क बहुत हद तक दुरुस्त और गावों कि सड़के सीमेंट से पक्की मिलती थी। पटना शहर और बिहार के अन्य क्षेत्रो को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क और परियोजनाओं ने जैसे पटना और बिहार को बंधक बना रखा था। उदाहरण स्वरुप, पटना शहर से बिहटा होते हुए आरा के रास्ते का ३० किलोमीटर तय करने में लगने वाला समय अनिश्चितता से भरा रहता था। वहीं पटना से गया लगभग १०० किलोमीटर तय करने में 3.५ से ६ घंटे तक लग जाते थे। यही हाल आरा से मोहनिया के लिए यह स्थिति ***आश्चर्यजनक*** और निराशाजनक दोनों थी। परन्तु कहीं कहीं इन सडकों पर छिटफुट काम होते देखने को मिल जाता था।

एक बार मुझे सौभाग्यवश उस वरिष्ठ अधिकारी से अनौपचारिक बातचीत का अवसर मिला, जो लंबे समय तक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे और बिहार के ही मूल निवासी हैं। मैंने जब उन्हें अपनी 'बंधक जैसी' भावना साझा की, तो उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक जटिल और बाधित रही है।

उनके अनुसार, कई बार जिला स्तरीय अधिकारी परियोजना से पहले भूमि के उपयोग को कृषि से बदलकर वाणिज्यिक घोषित कर देते थे, जिससे मुआवज़े की राशि अनुमान से कहीं अधिक हो जाती थी। इससे पूरी परियोजना की लागत फिर से आकलित करनी पड़ती, और उसे केंद्रीय स्तर पर दोबारा सैद्धांतिक स्वीकृति लेनी पड़ती थी–जिससे काम और भी अधिक विलंबित हो जाता। उन्होंने बताया कि

उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर यह चिंता राज्य के उच्च अधिकारियों के सामने भी रखी थी, लेकिन उनकी उदासीनता और केंद्र की ओर से अन्य राज्यों में काम पूरा करने के दबाव के कारण बिहार में यह कार्य ठप पड़ा रह गया। आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बहुत दुःख होता है। यदि यह स्थिति सच है, तो कार्यकारी स्तर पर केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय हेतु एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिससे समय-समय पर समीक्षा होती रहे और विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों को तुरंत दूर किया जा सके।

आजकल प्रधानमंत्री कार्यालय के सहकारिता सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठकों में 'पीएम गतिशक्ति पोर्टल' पर दर्ज सभी केंद्रीय परियोजनाओं और संबंधित मामलों का विस्तृत विवरण पहले से मुद्रित रूप में उपलब्ध रहता है। इन बैठकों में राज्य सरकार के मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, और जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या भौतिक रूप से उपस्थित होकर भाग लेते हैं। इसमें अनुभवी और उच्च अधिकारियों के द्वारा सलाह, समाधान, डांट-फटकार और निर्देश सम्बंधित मुद्दे पर इतना सटीक होती है कि समाधान की तय समय सीमा, एकाध बार ही आगे खिसकती है।

मार्च 2025 तक, पटना को 'बंधक' बनाए रखने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के प्रति धारणा पूरी तरह समाप्त हो गई। आज पटना से गया मात्र एक से सवा घंटे में, आरा से मोहनिया डेढ़ घंटे में, और पटना से बिहटा सिर्फ़ 45 मिनट में पहुँचना संभव हो गया है।

इसी प्रकार, अन्य केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाएँ जैसे नए रेल मार्गों का निर्माण, नक्सल-प्रभावित गांवों में स्कूलों की स्थापना आदि से संबंधित कार्यों के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया का त्वरित निपटारा होते हुए भी देखा गया है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव और केंद्र के सहकारिता सचिवों की प्रशासनिक दक्षता और अनुभव इस समन्वय और प्रगति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सड़क परिवहन के क्षेत्र में बिहार तेज़ी से प्रगति कर रहा है, और यह भी आशा की जा सकती है कि गंगा नदी के दोनों किनारों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग भी इसी गति और स्फूर्ति से पूर्ण होंगे।

रोहतास दुर्ग क्षेत्र:

यह जानकर कोई भी ***अचंभित*** हो सकता है कि रोहतास – जो आज एक पहाड़ी दुर्ग और ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है – का संबंध सीधे महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के एकमात्र पुत्र का नाम रोहतास से जुड़ा हुआ है। जिनकी मृत्यु एक विषैले साँप के डसने से हुई थी। जब पुत्र का शव अंतिम संस्कार के लिए बनारस (वाराणसी) के मणिकर्णिका घाट लाया गया, तब राजा हरिश्चंद्र स्वयं डोमराजा के अधीन बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे। धार्मिक नियमों के अनुसार, शवदाह के लिए कर देना अनिवार्य था। तदानुसार उन्होंने अपनी ही पत्नी से कर की मांग की। लेकिन उनकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं था, जो वे चुकता कर सकें। तब उस माता ने अपनी साड़ी का आँचल फाड़कर कर के रूप में समर्पित किया। यह घटना न केवल त्याग और सत्य की अद्भुत मिसाल है, बल्कि मानवीय करुणा की पराकाष्ठा भी है।

वर्तमान में भी यह क्षेत्र विषैले साँपों से भरा हुआ प्रतीत होता है। सोन नदी के किनारे, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर के परिक्षेत्र में यह भव्य, तीन मंज़िला विशाल दुर्ग स्थित है। इसकी स्थापत्य भव्यता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह किला कभी इस क्षेत्र की राजधानी रहा होगा। वर्तमान में यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों की श्रेणी में आता है। इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 30 किलोमीटर के फैलाव में दस गाँव बसे हुए हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 10,000 से अधिक होगी। दुर्भाग्यवश, यहाँ न तो कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है, न स्वास्थ्य सेवाएँ, और न ही आवश्यक वस्तुओं की

दुकानें। पहाड़ी के नीचे स्थित सबसे नजदीकी शहर लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जिसे तय करने में एक ओर से ही 2 से 3 घंटे तक का समय लग जाता है।

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, और प्रत्यक्ष रूप से देखे गए तथ्यों से यह ज्ञात हुआ कि एकमात्र पिकअप जीप ही लोगों का मुख्य सहारा है। यह जीप प्रतिदिन सुबह ग्रामीणों को बाज़ार ले जाती है और सायं लगभग 4 बजे वापस लौटती है। इस सीमित समय में ही लोगों को अपनी खरीदारी, चिकित्सा जांच, दवाइयों की व्यवस्था और अन्य कार्य पूरे करके उसी गाड़ी से लौटना अनिवार्य होता है – क्योंकि यदि एक बार चूक गए तो अगली सुविधा अगले दिन ही मिलेगी। यही जीप सवारी, रोगियों और सामान – सबके लिए एकमात्र साधन होती है।

इस अव्यवस्था का मुख्य कारण है क्षेत्र का अत्यधिक दुर्गम, पहाड़ी एवं जंगली होना, साथ ही सड़क मार्गों का जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में होना। यहाँ की सड़कों पर अधिकतम गति औसतन 10 किलोमीटर प्रति घंटे ही हो सकती है। फिर भी, इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है। सोन नदी के किनारे खड़ी चट्टानों का दृश्य, पहाड़ियों पर पसरे जंगल, वृक्षों की छाया, और जंगली फूलों की सुगंध इस स्थान को स्वर्गिक बना देती है।

सकारात्मक पहलू यह है कि दूरसंचार विभाग ने यहाँ इंटरनेट की सुविधा पहुँचा दी है। अब आवश्यकता है कि अन्य बुनियादी सेवाएँ – जैसे स्वास्थ्य, परिवहन और बाजार – भी इस क्षेत्र तक शीघ्र पहुँचे। यह वास्तव में यह सोचकर मन ***अचंभित*** होता है कि हजार साल पहले जिसके पूर्वज रोहतास दुर्ग से सुरक्षित एक राजधानी क्षेत्र में रहते थे, जिस दुर्ग का विस्तार करके शेरशाह सूरी ने एक सामरिक महत्त्व का किला क्षेत्र बनाया वो आज जंगल क्षेत्र में आता है और ये लोग आदिकाल के सुविधाओं से जीवन बसर करने को बाध्य है।

शहर :

देश के प्रत्येक जिले में, सामान्यतः उस जिले के नाम पर एक 'विकास प्राधिकरण' (Development Authority) कार्यरत होता है, जो शहरीकरण की दिशा, उसकी सीमाएँ निर्धारित करता है तथा नए निर्माणों को अनुमति प्रदान करता है। बिहार के जिलों में ऐसी व्यवस्था है या नहीं, यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई, परंतु यह अवश्य देखा गया है कि जिला मुख्यालय और उसके आस-पास का शहरीकरण अधिकांशतः अव्यवस्थित और अनियोजित होता है।

सड़कें और गलियाँ अत्यंत संकरी होती हैं, चाहे डेवलपर्स ने सड़क किनारे आकर्षक और ऊँची इमारतें क्यों न बना ली हों। इसके अलावा, स्वच्छता के मामले में भी बिहार अभी पीछे ही माना जाएगा।

संचार :

संचार के मुख्य घटक दूरसंचार, प्रसारण (अखबार, दूरदर्शन, दूरवाणी, आकाशवाणी,) डाक और इंटरनेट है। इसका मूल उद्देश्य है दूरी की बाधा को समाप्त करते हुए व्यक्तिगत संवाद, सूचना का आदान-प्रदान, सार्वजनिक सूचना का प्रसारण, मनोरंजन, शिक्षा तथा अब डिजिटल माध्यम से व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराना। संचार संरचनाएँ किसी राष्ट्र की संवेदनशील नसों की भांति कार्य करती हैं। जो समाज, सरकार और नागरिकों के बीच सतत संपर्क और समन्वय बनाए रखने के साथ-साथ वाणिज्यिक लेनदेन का माध्यम बनती हैं।

कई सेवाओं और वस्तुओं के वितरण में 'पहले आओ, पहले पाओ' का सिद्धांत लागू रहता है। कई सेवा प्रदाता, इस नियम के तहत ग्राहकों को सेवा तक पहुँचने के लिए इंटरनेट या व्यक्तिगत उपस्थिति का समान अवसर देते हैं। इस स्थिति में जिनके पास संचार-इंटरनेट सुविधाएँ पहुँच गयी है वो द्रुत गति से उन सेवाओं का लाभ उठा लेते है। अगर सेवा का संसाधन सिमित हो और इंटरनेट या व्यक्तिगत पहुंच पर सामान रूप से उपलब्ध हो तो तो जिन लोगों

तक यह इंटनेट का संचार सुविधा नहीं पहुंचा है वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उस सुविधा को लेने का लिए प्रयास करते है लेकिन उनकी बारी आती ही नहीं क्योंकि इंटरनेट वालों से पहले ही वह संसाधन ख़त्म हो चुका होता है। उक्त सिद्धांत डिजिटल विभाजन को नज़रअंदाज़ करता है, तकनीकी पहुँच वालों को अनुचित बढ़त देता है और समान अवसर की अवधारणा खंडित होती है।

डिजिटल विभाजन को दूर करने की ज़िम्मेदारी दूरसंचार विभाग की है। केवल इतना ही नहीं, नागरिकों तक डिजिटल सुविधाएँ समय पर न पहुँच पाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों की भी ज़िम्मेदारी कम नहीं होती, क्योंकि संचार सेवा प्रदाताओं को आवश्यक संरचनाओं के विस्तार के लिए समय से अनुमतियाँ नहीं दी जाती रही हैं। यदि हम अपने आस-पास ध्यान से देखें या मनन करें, तो पाएँगे कि समान आधार पर तथा 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत के तहत वंचित रह जाने वाले लोगों की संख्या 30 से 40 करोड़ तक पहुँच सकती है, जो हर राज्य में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। बिहार में यह प्रतिशत विशेष रूप से अधिक है। इस आंकड़ा का अनुमान जिस गांवों में मोबाईल टोवर नहीं है उसके बीच की आबादी ली गई है क्योंकि उस क्षेत्र में ४ जी या ५ जी की स्थाई और स्थिर ब्रॉड्बैन्ड नहीं मिल पाता है, जो बैंकिंग लेनदेन के लिए अति आवश्यक है।

यह जानकर मन अचंभित हो जाता है कि अप्रैल 2022 तक बिहार में 4G मोबाइल सेवाओं के विस्तार हेतु प्रस्तावित 5000 से अधिक मोबाइल टावरों के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) विभिन्न शहरी निकायों, पंचायतों एवं विभागों में लंबित पड़े थे। प्रत्येक टावर, प्रति सेवा प्रदाता कंपनी लगभग 900 उपभोक्ताओं को सेवा देने में सक्षम होता है। इस प्रकार, लगभग 45 लाख लोगों तक आधुनिक संचार सुविधाएँ पहुँचाने में बिहार के संबंधित संस्थाओं की उदासीनता एक बड़ा अवरोध बन गई थी। इन 45 लाख लोगों को 'डिजिटल भारत' की सुविधाएँ नहीं मिल पा रही थीं। वे 'पहले आओ, पहले पाओ' सिद्धांत पर आधारित सेवाओं तक समय पर नहीं पहुँच पाते थे, जबकि इंटरनेट सुविधा वाले उपयोगकर्ता पहले ही इन सेवाओं का लाभ उठा लेते थे। यह स्थिति समानता के अधिकार को प्रभावित करती है, क्योंकि इस सभी को समानता का समान अवसर नहीं मिल सका।

केवल सामाजिक दृष्टि से ही नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह स्थिति नुकसानदायक थी। यदि न्यूनतम ₹250 प्रति उपभोक्ता प्रति माह के औसत से आकलन करें, तो यह संचार कंपनियों के लिए लगभग ₹1350 करोड़ वार्षिक राजस्व का अवसर था। साथ ही, भारत सरकार और बिहार सरकार प्रत्येक को 18% जीएसटी की दर से लगभग ₹121.5 करोड़ के राजस्व की हानि हो रही थी – वह भी ऐसे समय में जब इस राशि से अनेक विकास कार्य किए जा सकते थे।

बिहार का भौगोलिक क्षेत्र बहुत राज्यों कि तुलना में मैदानी है फिर भी टेलीफोन और ब्रॉडबैंड का प्रतिशत घनत्व जनसंख्या के अनुपात में देश के राज्यों में सबसे निचले पायदान पर था। बिहार के उन संस्थाओं के जिम्मेदारों की ऐसी असंवेदनशीलता ***अचंभित*** करती है।

इस समस्या के समाधान के लिए दूरसंचार विभाग भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और तत्कालीन बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने मई 2022 की बैठक में निर्णय लिया कि अनापत्ति प्रमाण देने वाली पूरी प्रक्रिया को बिहार के ROW अधिनियम के अनुसार डिजिटल और ON-LINE कर लिया जाये जिससे नए आवेदनों के निष्पादन 60 दिन के अंदर होने लगे। परन्तु वो 5000 से अधिक पुराने आवेदन अभी भी लंबित रहे। जिसे बहुत जिद्दोजहद के बाद मार्च 2025 तक 60 पर ला दिया गया। यह घटनाक्रम जिम्मेदारों को यह शिक्षा देती है कि उन्हें विकास के राह में संवेदनशील बनना चाहिए न कि रोड़ा। उदासीनता या संवेदनहीनता का कितना दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कितने

लोग का जीवन दुरूह बना रह जाता है का अंदाज लगाना कई बार उनके समझ से परे हो जाता है।

खानपान और लोक संगीत :

बिहार का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन **लिट्टी-चोखा** है, जो सत्तू से भरी हुई गेहूं की गोलियों और भुने हुए आलू या बैंगन के चोखे के साथ खाया जाता है। इसके अलावा ठेकुआ, सत्तू पराठा, खजूर का हलवा, चूड़ा-दही, माछ-भात, और तिलकुट जैसे व्यंजन के खानपान की पहचान हैं। पर्व-त्योहारों पर खास व्यंजन जैसे छठ पूजा में ठेकुआ और सावन में कढ़ी-चावल का विशेष स्थान होता है। यहाँ के भोजन में सादगी, पोषण और देसीपन का मेल देखने को मिलता है। सत्तू और ठेकुआ ऐसा व्यंजन है जो एक हफ्ते तक बिना बिगड़े रह सकता है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि इन व्यंजनों ने पुराने जमाने में जब रेस्तरां या होटल नहीं हुआ करते थे, दूर तक के आवा-गमन में भोजन की जरूरत को पूरा करती थी। बिहार के लोग विदेश में बहुत पहले से रह रहे हैं। उसमें अंग्रेजों का हाथ तो है ही यह भोजन उनके पलायन के दौरान सहारा बना रहा होगा।

सोहर, **कजरी**, और **भोजपुरी बिरहा** जैसे गीत बिहार की मिट्टी की खुशबू लिए होते हैं। छठ महापर्व पर गाए जाने वाले **छठ गीत**, महिलाओं की सामूहिक भक्ति और संगीत की भावना को दर्शाते हैं। इन गीतों में ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, जो लोक संगीत को जीवंत बनाते हैं। आज भी बिहार के गांव-गांव और शहर में यह परंपरा जीवित है और सांस्कृतिक पहचान बनाए हुए है।

सारांश:

बिहार एक ऐसा राज्य है, जो अपने गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों और सामाजिक चेतना के अद्भुत मेल से अचंभित करता है। यह भूमि सम्राट अशोक, चाणक्य, बुद्ध, महावीर और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान व्यक्तित्वों की कर्मभूमि रही है, जिसने भारतवर्ष की सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को आकार दिया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक बिहार संग्रहालय तक, यह राज्य शिक्षा, दर्शन और विरासत की मिसाल प्रस्तुत करता है। वहीं दूसरी ओर, वर्तमान में डिजिटल असमानता, अवसंरचनात्मक बाधाएँ, और प्रशासनिक उदासीनता जैसी समस्याएँ भी सामने आती हैं। 'पहले आओ, पहले पाओ' जैसे सिद्धांत समान अवसर न मिलने की वजह से विफल होते दिखे। फिर भी, महिला सशक्तिकरण, जातिगत पहचान से उबरने की प्रवृत्ति, और सामाजिक समरसता की ओर बढ़ते कदम बिहार को नई दिशा में ले जा रहे हैं। ये सभी पहलू मिलकर बिहार को एक ऐसा राज्य बनाते हैं, जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होते हुए भी परिवर्तन की राह पर अग्रसर है—और यही विरोधाभास इसे सचमुच "***अचंभित करता बिहार***"बनाता है।

****

समय का महत्व

समय मानव जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यह न तो रुकता है और न ही वापस लौटता है, इसलिए इसका सही उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय हमें हर दिन 24 घंटे देता है, परंतु इसका सदुपयोग करना हमारे हाथ में होता है।

अक्सर लोग समय को व्यर्थ कार्यों में नष्ट कर देते हैं, जैसे अनावश्यक मोबाइल उपयोग, आलस्य या टालमटोल की आदत। यह आदतें धीरे-धीरे हमारे लक्ष्य से हमें दूर कर देती हैं। वहीं, जो व्यक्ति अपने कार्यों की योजना बनाकर समय का सही प्रबंधन करता है, वह कम समय में अधिक उपलब्धियाँ हासिल कर सकता है।

समय का महत्व हमें तभी समझ आता है जब वह हमारे हाथ से निकल जाता है। इसलिए हमें हर क्षण का मूल्य समझना चाहिए और उसे सार्थक कार्यों में लगाना चाहिए। सही समय पर लिया गया निर्णय हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है।

अतः हमें चाहिए कि हम समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को सफल तथा सार्थक बनाएं।

इसके अतिरिक्त, समय का सही उपयोग हमारे व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोग समय के पाबंद होते हैं, वे समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। समय हमें अनुशासन, जिम्मेदारी और लक्ष्य के प्रति समर्पण सिखाता है। यदि हम अपने दिन की शुरुआत एक सही योजना के साथ करें और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करें, तो हम अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित बना सकते हैं।

विद्यार्थियों के लिए समय का महत्व और भी अधिक होता है, क्योंकि उनका भविष्य उनके आज के प्रयासों पर निर्भर करता है। नियमित अध्ययन, समय पर कार्य पूरा करना और विश्राम के लिए भी समय निकालना सफलता की कुंजी है।

अंततः, समय ही जीवन है—इसे समझकर, संजोकर और सही दिशा में उपयोग करके ही हम अपने जीवन को सफल, संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं।

योगेश गोयल
सहायक महानिदेशक

स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार: योग

आज की तेज़ रफ्तार और तनाव से भरी जीवनशैली में हम अक्सर अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। काम, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, जिसके परिणामस्वरूप थकान, तनाव, चिंता और कई बीमारियाँ जन्म लेती हैं। ऐसे में योग एक प्रभावी और प्राचीन समाधान के रूप में हमारे सामने आता है, जो हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है।

योग क्या है?

योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है। "योग" शब्द का अर्थ है "जोड़ना" या "एकता"। इसमें आसन (शारीरिक अभ्यास), प्राणायाम (श्वास नियंत्रण), ध्यान और नैतिक सिद्धांत शामिल होते हैं। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्म-जागरूकता और आध्यात्मिक विकास को भी बढ़ावा देता है।

योग के प्रमुख प्रकार:

हठ योग शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है, जबकि राज योग ध्यान और आत्म-ज्ञान पर केंद्रित होता है। कर्म योग निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाता है, भक्ति योग ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण सिखाता है। ज्ञान योग आत्म-चिंतन के माध्यम से सत्य की खोज कराता है और कुंडलिनी योग आंतरिक ऊर्जा के जागरण पर आधारित है।

शारीरिक लाभ:

योग से शरीर का लचीलापन और ताकत बढ़ती है, संतुलन बेहतर होता है और पाचन क्रिया में सुधार आता है। यह हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, रक्तचाप नियंत्रित करता है और श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है। साथ ही, नियमित अभ्यास से पीठ दर्द, जोड़ों के दर्द और सिरदर्द जैसी समस्याओं में राहत मिलती है।

मानसिक और भावनात्मक लाभ:

योग तनाव को कम करता है और मन को शांत करता है। यह चिंता और अवसाद को दूर करने में सहायक है तथा एकाग्रता और नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। योग हमें आत्म-स्वीकृति और भावनात्मक संतुलन सिखाता है, जिससे जीवन में सकारात्मकता और रचनात्मकता बढ़ती है।

अंततः, योग एक ऐसी जीवनशैली है जो हमें स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की दिशा दिखाती है।

राजकुमारी
निजी सहायक

स्वस्थ जीवन का महत्व

स्वास्थ्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और खुशहाल जीवन जी सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण कई बीमारियाँ बढ़ रही हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह और तनाव।

वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं और संतुलित आहार लेते हैं, वे अधिक ऊर्जावान और खुश रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, कई ऑफिस में काम करने वाले लोग सुबह की सैर या योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। वहीं, जो लोग अनियमित जीवनशैली अपनाते हैं, उन्हें जल्दी थकान और बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

हमें अपने जीवन में छोटी-छोटी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, जैसे समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और रोज़ाना कुछ समय व्यायाम के लिए निकालना। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।
अंत में—"स्वास्थ्य ही धन है" और सच में, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं।

प्रवेंद्र बघेल
एम.टी.एस

डिजिटल युग और हमारा जीवन

आज का समय डिजिटल क्रांति का समय है, जहाँ मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इन तकनीकों ने हमारे काम करने, सीखने और संवाद करने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। आज हम घर बैठे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, बिल भर सकते हैं और जरूरी सामान मंगवा सकते हैं। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षा और वर्क फ्रॉम होम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने यह साबित किया कि डिजिटल तकनीक हमारे जीवन को कितनी आसानी और गति दे सकती है।

लेकिन हर सुविधा के साथ कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। आज कई लोग घंटों मोबाइल पर समय बिताते हैं, जिससे उनकी आंखों पर असर पड़ता है और शारीरिक गतिविधियाँ कम हो जाती हैं। एक वास्तविक उदाहरण लें—कई बच्चों में ऑनलाइन गेम्स की लत इतनी बढ़ गई है कि वे पढ़ाई और सामाजिक जीवन से दूर हो जाते हैं। इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं।

इसलिए जरूरी है कि हम तकनीक का उपयोग समझदारी से करें। हमें डिजिटल साधनों का सही संतुलन बनाना चाहिए, ताकि हम उनके लाभ उठा सकें और नुकसान से बच सकें। अंत में—"अति सर्वत्र वर्जयेत" यानी किसी भी चीज़ की अधिकता हानिकारक होती है।

समय की कीमत

समय

समय न रुकता, आगे बढ़ता,
हर पल हमको सीख सिखाता।
जो इसका सम्मान करे,
वही जीवन में आगे बढ़े।

"बीता समय लौटकर न आए।"

आकाश अग्रवाल
कार्यालय सहायक

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता

पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, लेकिन आज यह गंभीर संकट का सामना कर रहा है। बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसका प्रभाव हमें जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखने को मिलता है।

वास्तविक उदाहरण के तौर पर, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुका है, जिससे लोगों को सांस संबंधी बीमारियाँ हो रही हैं। कई जगहों पर पानी की कमी भी एक गंभीर समस्या बन गई है, जो हमें चेतावनी देती है कि हमें अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा।

हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे-छोटे कदम उठाने चाहिए, जैसे पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और पानी व बिजली की बचत करना। यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

अंत में—"जैसा बोओगे, वैसा काटोगे" इसलिए प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करें, तभी भविष्य सुरक्षित होगा।

अनीता कश्यप
कार्यालय सहायक

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश

1. राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में जारी किए जाएं । राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित अथवा जारी किए जाएं ।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।

3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं। इसके अंतर्गत अधिसूचित बैंकों की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिंदी में किए जाएं:-

"ग्राहकों द्वारा हिंदी में भरे गए आवेदनों और अंग्रेजी में भरे गए आवेदनों पर ग्राहकों की सहमति से जारी किए जाने वाले मांग ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी प्रकार की सूचियां, विवरणियां, सावधि जमा रसीदें, चैक बुक संबंधी पत्रादि, दैनिक बही, मस्टररोल, प्रेषण बही, पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियां, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा एवं ग्राहक सेवा संबंधी कार्य, नये खाते खोलना, लिफाफों पर पते लिखना, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास निर्माण अग्रिम, चिकित्सा संबंधी कार्य, बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त आदि ।"

4. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अनुसार केंद्र सरकार, ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारुपण और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट हों।

5. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी और मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी। तदनुसार, केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा है कि वे सभी मैनुअल, संहिताएं एवं प्रक्रिया संबंधी असांविधिक साहित्य से संबंधित अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य अनुवाद के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में भेजें।

6. राजभाषा नियम,1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो तथा इस प्रयोजन से उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच बिंदु बनाए जाएं।

7. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों पर पुन: बल दिया है। ये सुझाव हैं:- सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी के अंतर को कम करना, देश की दूसरी भाषाओं से हिंदी को और समृद्ध करने के लिए उपाय करना, दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करना, दूसरी भारतीय भाषाओं से अच्छे शब्दों को खोजकर हिंदी भाषा में जोड़ना, हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना जिससे सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधक नहीं, सहायक हो।

8. राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के सभी सचिवों/विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रमुखों से आग्रह किया है कि जब वे प्रत्येक माह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करें तो वे उनमें हिंदी में सरकारी काम-काज में हुई प्रगति की भी समीक्षा करें और अपने संगठन में राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करें। साथ ही, संयुक्त सचिव (प्रशासन)/संगठन के प्रशासनिक प्रमुख को हिंदी कार्यान्वयन तथा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए।

9. कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए, जो कि कुल पदों के अनुरूप हो ।

10. मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी पदाधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान वेतनमान व पदनाम दिए जाएं।

11. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न- पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप से, हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए।

12. केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा सभी सेवाकालीन, विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं (अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं सहित) में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का विकल्प दिया जाए। प्रश्न पत्र अनिवार्यतः दोनों भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी में तैयार कराए जाएं। जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां अभ्यर्थियों को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देने की अनुमति दी जाए।

13. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र संबंधित मंत्रालय/विभाग और कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित हों।

14. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि हिंदी संगोष्ठियों का आयोजन करें।

15. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यत: हिंदी माध्यम से हो । 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

16. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा कोई भी गैर-सरकारी संस्था केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही देश भर में काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण नि:शुल्क देते हैं एवं राजभाषा पर विचार-विमर्श के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा संबंधित कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर 'लीला' राजभाषा के माध्यम से अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अतः गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना उचित नहीं है।

17. विभिन्न कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यशाला की न्यूनतम अवधि एक कार्य दिवस की होगी। कार्यशाला में न्यूनतम दो तिहाई समय कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए।

18. केंद्र सरकार के कार्यालयों की मांग पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

19. केंद्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिंदी टंककों व हिंदी आशुलिपिकों से संबंधित निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक ही भर्ती किए जाएं।

20. अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद के प्रशिक्षण के लिए नामित किया जा सकता है, जिन्हें स्नातक स्तर पर हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तथा जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा अनुवाद कार्य के लिए किया जा सकता है।

21. अनुवादकों को, मानक शब्दकोश (अंग्रेजी-हिंदी व हिंदी-अंग्रेजी) तथा अन्य तकनीकी शब्दावलियों के रूप में सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

22. भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है ताकि सरकारी कामकाज में वे इसका प्रयोग कर सकें। तथापि, अधिकांश अधिकारी सेवा में आने के पश्चात सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग नहीं करते। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों में सही संदेश नहीं जाता। परिणामस्वरूप, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता। केंद्र सरकार के कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में गति आएगी।

23. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो।

24. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय अपने दायित्वों से संबंधित विषयों से संबधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

25. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने कार्यालय में हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं। इन पत्रिकाओं में कार्यालय की सामान्य गतिविधियों तथा उस कार्यालय के कामकाज से संबंधित मौलिक आलेख प्रकाशित किए जाएं। साथ ही राजभाषा नीति के प्रमुख प्रावधानों का भी उल्लेख अवश्य हो। केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन पत्रिकाओं के ई-वर्जन तैयार करें और इन्हें राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म "ई-पत्रिका पुस्तकालय" पर अपलोड करें ताकि गृह-पत्रिकाएं पाठकों को सहज तरीके से प्राप्त हो सकें।

26. यह देखा गया है कि अनेक विभागों द्वारा वेबसाइट पर या तो सूचना हिंदी में नहीं दी जाती या कुछ मामलों में यह पूर्णतया हिंदी में उपलब्ध नहीं है। अतः वेबसाइट हिंदी में विकसित और नियमित रूप से अद्यतित करवाएं।

27. राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हर वर्ष कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए 5 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षु कंप्यूटर पर हिंदी में काम कर सकेंगे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

28. राजभाषा विभाग द्वारा मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "राजभाषा गौरव पुरस्कार" दिए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 से संशोधित **"राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना"** लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब भारत के नागरिकों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:-

(क) हिंदी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(ख) न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(ग) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(घ) विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ ट्रस्ट आदि, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा हिंदी गृह पत्रिकाओं के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाते हैं। इन दोनों पुरस्कार योजनाओं की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

29. राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न संस्थाओं के लिंक उपलब्ध कराए हैं जिनके माध्यम से इन संस्थाओं की शब्दावली देखी जा सकती है। इस संबंध में यदि कार्यालयों द्वारा कोई अपनी शब्दावली तैयार की गई है तो वे उसे राजभाषा विभाग से साझा करें ताकि अन्य कार्यालय भी लाभान्वित हो सकें।

30. राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर "ई-सरल हिंदी वाक्यकोश" शीर्षक के अंतर्गत सामान्यत: अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले वाक्यों के हिंदी अनुवाद दिए गए हैं जिनके प्रयोग से अधिकारी फाइलों पर सामान्य टिप्पणियां आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं।

31. अंतरराष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणिक अनुवाद तैयार कराकर रिकॉर्ड के लिए फाइल में रखे जाएं।

32. हिंदीतर राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट्ट तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में, प्रयोग की जानी चाहिए ।

33. प्रशिक्षण और कार्यशालाओं सहित राजभाषा हिंदी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा व समुचित स्थान एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक तरह से कर सकें।

34. हमें अपने कार्य-व्यवहार में आम जीवन में प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल देना चाहिए ताकि सामान्य नागरिक सरकारी नीतियों/ कार्यक्रमों के बारे में सरल हिंदी में जानकारी प्राप्त कर सकें।

दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र, नई दिल्ली में हिंदी पखवाड़े का आयोजन

दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र, नई दिल्ली में 14 से 29 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया । 14 सितंबर का अवकाश होने के कारण, कार्यालय में हिंदी पखवाड़े के उदघाटन समारोह का आयोजन 15 सितंबर, 2025 को डॉ. अब्दुल कलाम सभागार में किया गया । उदघाटन समारोह में परंपरागत सरस्वती पूजा व दीप प्रज्वलित कर सैयद श्री तौसीफ अब्बास , वरिष्ठ उप महानिदेशक, टी.ई.सी. द्वारा हिंदी पखवाड़ा-2025 का विधिवत उदघाटन किया गया । इस अवसर पर श्री सैयद तौसीफ अब्बास जी ने माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह जी, द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जारी संदेश से सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी तथा हिंदी दिवस की महता पर प्रकाश डाला । अध्यक्षा महोदया द्वारा पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने तथा इस पखवाड़े के दौरान ही नहीं अपितु पूरे वर्ष हिंदी में ही कार्य करने हेतु सभी से आग्रह किया गया ।

2. मंचासीन श्री शिव नारायण, उप महानिदेशक (एन.जी.एन.) ने हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी को हिंदी दिवस की बधाई दी तथा हिंदी के महत्व और उसकी बढ़ती लोकप्रियता के संदर्भ में अपने विचार रखे । श्री शिव नारायण जी ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में विस्तार से बताया तथा सभी से प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की ।

3. कार्यालय में हिंदी को बढ़ावा देने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रूचि सृजित करने के उद्देश्य से हिंदी पखवाड़ा के दौरान कुल 09 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । प्रतियोगिताओं का विवरण इस प्रकार है :

1. हिंदी निबंध लेखन (राजपत्रित अधिकारियों के लिए) ।
2. हिंदी निबंध लेखन (राजपत्रित कर्मचारियों के लिए) ।
3. हिंदी टिप्पण व मसौदा लेखन ।
4. हिंदी व्याकरण ज्ञान ।
5. अनुवाद (हिंदी से अंग्रेज़ी तथा अंग्रेज़ी से हिंदी) ।
6. स्वरचित मौलिक कविता लेखन ।
7. अंताक्षरी (केवल हिंदी साहित्य से संबंधित) ।
8. प्रश्न मंच ।
9. हिंदी में उत्कृष्ट कार्य प्रतियोगिता ।

(हिंदी में कार्य को बढ़ावा देने हेतु - दिनांक 05 सितंबर, 2025 से 25 सितंबर, 2025 की अवधि में हिंदी में सबसे ज्यादा कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया)

इन प्रतियोगिताओं में कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

4. हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह का आयोजन डॉ. अब्दुल कलाम सभागार में दिनांक 27 सितंबर, 2025 को किया गया । श्री तौसीफ अब्बास, वरिष्ठ उप महानिदेशक, टी.ई.सी. द्वारा सरस्वती पूजा व दीप प्रज्वलन कर हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह की विधिवत शुरुआत की गई ।

5. हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित, प्रश्न मंच प्रतियोगिता को छोड़कर, प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार तथा 3 सांत्वना पुरस्कार दिये गए। सभी पुरस्कार विजेताओं को वरिष्ठ उप महानिदेशक, टी.ई.सी. द्वारा प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा पुरस्कार राशि उनके खाते में रोकड़ अनुभाग द्वारा ऑनलाइन जमा (बैंक) करवा दी गयी । पुरस्कार विजेताओं की सूची पेज 42-44 पर संलग्न है ।

6. अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री तौसीफ अब्बास जी ने प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी एवं हिंदी पखवाड़ा के आयोजन में योगदान देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद किया । अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों से आग्रह किया गया कि सभी अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में काम करें और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्थक प्रयास करें ।

7. मंचासीन श्री शिव नारायण, उप महानिदेशक (एन.जी.एन.) ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी । श्री शिव नारायण जी ने श्री तौसीफ अब्बास, वरिष्ठ उप महानिदेशक, टी.ई.सी. का धन्यवाद करते हुए, समारोह की अध्यक्षता करने, सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आभार व्यक्त किया। अंत में श्री शिव नारायण जी ने हिंदी पखवाड़े के सफल आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर की तथा कार्यालय के सभी कार्मिकों का मुख्यत: एन.जी.एन. प्रभाग, कार्मिक और प्रशासन प्रभाग के कार्मिकों का धन्यवाद किया गया जिन्होंने इस पखवाड़े के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे अपना सारा काम हिंदी में करें ।

दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र
दूरसंचार विभाग
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

हिंदी पखवाड़ा-2025 परिणाम

क्र.सं	प्रतियोगिता का नाम	विजेता का नाम	पदनाम	प्राप्त स्थान
1	निबंध लेखन (राजपत्रित अधिकारियों के लिए)	श्री योगेश गोयल	सहायक महानिदेशक	प्रथम पुरस्कार
2		श्री शशि मोहन	उपमहानिदेशक	द्वितीय पुरस्कार
3		श्री राम राज यादव	निदेशक	तृतीय पुरस्कार
4		श्री शत्रुधन सिंह	सहायक महानिदेशक	सांत्वना पुरस्कार
5		श्री अमित शुक्ला	निदेशक	सांत्वना पुरस्कार
6		श्री शिव चरण	अनुभाग अधिकारी	सांत्वना पुरस्कार
7	प्रारंभिक सामान्य हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता (केवल नियमित अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए)	श्री प्रवीन्द्र बघेल	एम.टी.एस.	प्रथम पुरस्कार
8		श्री राजेश कुमार मीणा	निजी सचिव	द्वितीय पुरस्कार
9		सुश्री राजकुमारी	निजी सचिव	तृतीय पुरस्कार
10		श्री चितरंजन कुमार	जे.एस.ए.	सांत्वना पुरस्कार
11		श्री ओम प्रकाश	एम.टी.एस.	सांत्वना पुरस्कार
12	अनुवाद (हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी)	श्री अमित शुक्ला	निदेशक	प्रथम पुरस्कार
13		सुश्री मुक्ता चंद्रा	सहायक उपमहानिदेशक	द्वितीय पुरस्कार
14		श्री शत्रुधन सिंह	सहायक महानिदेशक	तृतीय पुरस्कार
15		श्री शशि मोहन	उपमहानिदेशक	सांत्वना पुरस्कार
16		श्री योगेश गोयल	सहायक महानिदेशक	सांत्वना पुरस्कार
17		श्री प्रवीन्द्र बघेल	एम.टी.एस.	सांत्वना पुरस्कार

दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र
दूरसंचार विभाग
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

हिंदी पखवाड़ा-2025 परिणाम

क्र.सं	प्रतियोगिता का नाम	विजेता का नाम	पदनाम	प्राप्त स्थान
18	निबंध लेखन (अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए)	श्री रवि कुमार	वरिष्ठ लेखाकार	प्रथम पुरस्कार
19		श्री ओम प्रकाश यादव	एम.टी.एस.	द्वितीय पुरस्कार
20		श्री राजेश कुमार मीणा	निजी सचिव	तृतीय पुरस्कार
21		सुश्री राजकुमारी	निजी सचिव	सांत्वना पुरस्कार
22		श्री चितरंजन कुमार	जे.एस.ए.	सांत्वना पुरस्कार
23		श्री प्रवीन्द्र बघेल	एम.टी.एस.	सांत्वना पुरस्कार
24	हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार योजना	श्री ओम प्रकाश यादव	एम.टी.एस.	प्रथम पुरस्कार
25		श्री मुकुल तिवारी	सहायक निदेशक	द्वितीय पुरस्कार
26		श्री योगेश गोयल	सहायक महानिदेशक	तृतीय पुरस्कार

दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र
दूरसंचार विभाग
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

हिंदी पखवाड़ा-2025 परिणाम

क्र.सं	प्रतिभागी का नाम	पदनाम	प्रश्न-1 (सही उत्तर)	प्रश्न-2 (सही उत्तर)
1.	शिव नारायण	डी.डी.जी.	✓	✓
2.	शशि मोहन	डी.डी.जी.	✓	✓
3.	प्रशांत पोनुगति	डी.डी.जी.		
4.	विजय दीक्षित	निदेशक	✓	✓
5.	अजय कुमार सिंह	निदेशक		
6.	संजीव कुमार आर्या	निदेशक		
7.	राजीव रंजन	सहायक निदेशक		
8.	शत्रुघ्न सिंह	सहायक निदेशक	✓	✓
9.	प्रशान्त बौद्ध	सहायक निदेशक	✓	✓
10.	राकेश कुमार	पी. ए.	✓	✓
11.	प्रवेन्द्र भगेल	एम.टी.एस.	✓	✓
12.	रेखा	एम.टी.एस.	✓	✓
13.	मुदिता चंद्र	सहायक महानिदेशक	✓	✓
14.	शिव चरण		✓	✓
15.	मुकेश कुमार	डी.डी.जी.	✓	✓
16.	चितरंजन	एम.टी.एस.	✓	✓
17.	ओम प्रकाश		✓	✓
18.	राजेश मीना		✓	✓
19.	ईश्वर	एम.टी.एस.	✓	✓
20.	ज्योति राउत		✓	✓
21.	अनिल कुमार		✓	
22.	लखनलाल मीना		✓	
23.	रवि प्रकाश	एम.टी.एस.	✓	
24.	माया	एम.टी.एस.	✓	
25.	शोना ग्रोवर		✓	
26.	ध्रुपद गुप्ता		✓	
27.	रोहित कुशवाह		✓	
28.	विजय कुमार		✓	
29.	ओम प्रकाश	एम.टी.एस.	✓	

हिंदी पखवाड़ा 2025 पुरस्कार वितरण

बधाईयां

बधाईयां

बधाईयां

हिंदी पखवाड़ा 2025

समापन

हिंदी पखवाड़ा 2025

समापन

आई.एस.ओ. 9001:2015

दूरसंचार विभाग

दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र

खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

वेबसाईट : www.tec.gov.in

क्षेत्रीय कार्यालयः

पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता

प्रथम तल, दूरसंचार क्यूए बिल्डिंग, ईपी एण्ड जीपी ब्लॉक,
सॉल्ट लेक, सेक्टर 5, कोलकाता-700091

पश्चिमी क्षेत्र, मुम्बई

द्वितीय तल, डी विंग, बीएसएनएल प्रशासनिक भवन,
जुहू रोड, शान्ता क्रूज (वेस्ट) मुम्बई-400054

दक्षिणी क्षेत्र, बेंगलुरू

द्वितीय मंजिल, जया नगर टेलीफोन एक्सचेंज,
9 वां मेन, चौथा ब्लॉक, जयानगर, बेंगलुरू-560011

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

गेट नं. 5, खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001